न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 98/2011
प्रविष्टि दिनाक 13.04.2011

सत्यनारायण पुत्र केसरलाल जाति महाजन निवासी महूवा तहसील व जिला टोंक राज0
.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 01.08.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम महूवा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 327 मे से 600 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 328 मे से 1000 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 340 मे से 4000 वर्गमीटर एंव खसरा नम्बर 341 मे से 2600 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से 300 मीटर की परिधि की भूमि की डीएलसी दर एंव प्रार्थी की भूमि मे सात सागवान व दो नीम के पेड लगे हुये का,चाही की दर से तथा भूमि आबादी के पास स्थित है का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 1391,1392,1381,1382/09 दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग से 300 मीटर की परिधि की भूमि की दर से भूमि का एंव भूमि मे सात सागवान व दो नीम के पेड लगे हुये का,चाही की दर से तथा आबादी के पास स्थिति भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी [illegible] की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1391,1392,1381,1382/09 दिनांक 06.07.20[illegible] तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 327 मे से 600 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 328 मे से 1000 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 340 मे से 4000 वर्गमीटर एंव खसरा नम्बर 341 मे से 2600 वर्गमीटर

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

वाके ग्राम महूवा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म चाही–1 व जाव–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। तहसीलदार की सर्वे रिपोर्ट मे वादग्रस्त आराजीयात मे वृक्ष इत्यादि नही थे। वादग्रस्त आराजीयात का न तो कोई संपरिर्वतन आदेश पेश किया है न ही उक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड मे आबादी दर्ज है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0327 मे से 600 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 328 मे से 1000 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 340 मे से 4000 वर्गमीटर एंव खसरा नम्बर 341 मे से 2600 वर्गमीटर,किस्म जमीन चाही–1 व जाव–1 वाके ग्राम महूवा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग से 300 मीटर की परिधि की भूमि का डी0एल0सी0 दर से एंव भूमि मे सात सागवान व दो नीम के लगे हुये पेडो का, आबादी के पास स्थित भूमि का तथा चाही की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से 300 मीटर की परिधि मे भूमि होने बाबत एंव भूमि पर पेड होने,भूमि आबादी के पास स्थित होने बाबत कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा भूमि का मुआवजा चाही की दर से भी चाहा गया है। अवार्ड पत्रावली मे भूमि कि किस्म चाही–1 व जाव–1 दर्ज है,जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी को मुआवजा चाही की दर से ही दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 01.08.2022को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:01 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते